PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 07

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1595/2020		
राज्य	**बनाम**	रामनरेश

नाम साक्षीः चैनपाल सिंह पुत्र स्व० जयचन्द्र सिंह	अपराध संख्या-48/2020
उम्रः लगभग 61 वर्ष, पेशाः सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक	धारा- 302 भा0 द 0 वि0
वर्तमान पता साक्षीः गाँव जिवाना गोलियान, थाना-बिनौली, जनपद-बागपत	थाना-सट्टी, कानपुर देहात।

दिनांकः-17.03.2026

मैं **साक्षीः चैनपाल सिंह पुत्र स्व० जयचन्द्र सिंह, उम्रः लगभग 61 वर्ष, पेशाः सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक, वर्तमान पता साक्षीः गाँव जिवाना गोलियान, थाना-बिनौली, जनपद-बागपत** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 21.04.2020 को मैं थाना सट्टी में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उसी दिन समय 00:52 बजे रात में थानाध्यक्ष थाना सट्टी द्वारा जरिए फोन से मुझे सूचना दी गयी थी कि श्रीमती तारादेवी पत्नी रामनरेश उर्फ भूरा निवासिनी ग्राम महकापुर थाना सट्टी कानपुर देहात जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, की मृत्यु सीएचसी पुखरायाँ में हो गयी है, उनका शव सीएचसी पुखरायाँ में रखा हुआ है। आप जाकर पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करायें।

2. उपर्युक्त सूचना पाकर मैं तत्काल सीएचसी पुखरायाँ के लिए रवाना हो गया था। लगभग आधे-पौने घंटे में सीएचसी पुखरायाँ पहुँच गया था। मृतका तारादेवी का शव

HANS PRAKASH DIXIT

सीएचसी पुखरायाँ के प्रांगण में स्ट्रेचर पर रखा था। वहाँ पर मृतका के मायके पक्ष के लोग व गाँव के लोग मौजूद थे।

3. वहाँ पर मौजूद लोगों में से पंच नियुक्त कर मेरे द्वारा पंचनामा की कार्यवाही सुबह छह बजे प्रारम्भ की गयी थी। मृतका के शव का मुआयना महिला आरक्षी शालू देवी से कराया गया था। मृतका के सिर के बायीं तरफ खूनआलूदा चोट, सिर में खून आलूदा चोट, दायें गाल पर आँख के नीचे खूनआलूदा चोटें, दाँत टूटे हुए प्रतीत हो रहे थे, दायीं आँख के नीचे नीलगू निशान मौजूद था। मृतका रंगीन छापेदार साड़ी पीले रंग की, प्रिंटदार ब्लाऊज व पीला पेटीकोट पहने हुए थी।

4. पंचो ने अपनी राय व्यक्त कर अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये थे। मृतका की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक था।

5. पंचनामा की कार्यवाही के पश्चात मृतका के शव को सफेद कपड़े में रखकर सीलसर्वमुहर किया गया था। मृतका की पंचनामा रिपोर्ट मैंने स्वयं तैयार की थी और उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श P-7** अंकित किया गया।

6. सी०एम०ओ० चिट्ठी, पुलिस फॉर्म सं०-33, फोटोनाश भी मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिन पर **प्रदर्श P-8 लगायत प्रदर्श P-10** अंकित किया गया। पंचनामा की कार्यवाही उसी दिन समय सुबह सात बजे समाप्त की गयी थी।

7. मृतका का शव, पंचनामा रिपोर्ट, अन्य दीगर प्रपत्र महिला आरक्षी शालू देवी व आरक्षी अभिषेक कुमार को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया था।

8. विवेचक ने मुझसे पूछताछ की थी।

XXXXXXXXXXXX प्रतिपरीक्षा XXXXXXXXXXXX

HANS PRAKASH DIXIT

9. पंचनामा की कार्यवाही करने हेतु मुझे थाने से सूचना प्राप्त हुई थी। मुझे थाने से यह सूचना दी गयी थी कि मृतका तारादेवी का शव सीएचसी पुखरायाँ में रखा है, आप वहाँ जाकर शव की पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करायें। थाने से उक्त सूचना मुझे मौखिक प्राप्त हुई थी।

10. यह बात सही है कि मृतका के शव का निरीक्षण करने के पश्चात मैंने पंचनामा पर कुल चार चोटों का उल्लेख किया है। पंचगवाह रमेश व राजू ने मुझे मृतका के शरीर पर आयीं चोटों के बारे में बताया था।

11. सूचना मिलने के लगभग आधे-पौने घंटे बाद मैं थाना सट्टी से सीएचसी पुखरायाँ पहुँच गया था। सीएचसी पुखरायाँ में मृतका के परिजन व अन्य लोग मौजूद थे। मैं मृतका के मायके वालों को नहीं पहचानता था।

12. यह बात सही है कि मृतका के सिर पर कुल दो चोटें थीं। मैंने मृतका के शरीर पर इलाज से संबंधित कोई भी चिन्ह (वीगो, पट्टी आदि) नहीं पाया था।

13. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मृतका के शव की पंचनामा की कार्यवाही नियमानुसार न की गयी हो बल्कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करा दी हो और मात्र उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये हों।

14. यह भी कहना गलत है कि मैं आज माननीय न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दे रहा हूँ।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा अंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT